



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092021-229901
CG-DL-E-23092021-229901

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3614]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 23, 2021/आश्विन 1, 1943

No. 3614]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 23, 2021/ASVINA 1, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2021

सं. 29 / 2015-2020

विषय : वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदान की गई सेवाओं के लिए भारत से सेवाओं के निर्यात की योजना (एसईआईएस)।

का.आ. 3948(अ.).—विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.02 और विदेश व्यापार नीति के समर्थकारी पैरा 3.13 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015-20 में भारत से सेवाओं के निर्यात की योजना (एसईआईएस) में निम्नलिखित परिवर्तनों को तत्काल प्रभाव से अधिसूचित करती है:

2. विदेश व्यापार नीति 2015-20 के मौजूदा पैरा 3.08 (क) के बाद निम्नलिखित पैरा 3.08 (कक) को शामिल किया जाता है:

“3.08 (कक) वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदान की गई सेवाओं पर एसईआईएस दावों के लिए अधिसूचित सेवाओं और दरों को इस अधिसूचना के अनुलग्नक के अनुसार परिशिष्ट 3X में सूचीबद्ध किया गया है।

3. विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 3.08 (ग) के अंत में निम्नलिखित को जोड़ा जाता है:

“तथापि, वित्तीय वर्ष 2019-20 में किए गए निर्यात के लिए परिशिष्ट 3ड. के अधीन ऐसी कोई विनिर्दिष्ट सेवाएं नहीं होंगी”

4. विदेश व्यापार नीति 2015–20 के मौजूदा पैरा 3.10 के बाद निम्नलिखित पैराओं को सम्मिलित किया जाता है:

“3.10क वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए एसईआईएस दावे के लिए, पात्र सेवाओं के सेवा प्रदाता अर्जित शुद्ध विदेशी मुद्रा पर अधिसूचित दरों (जैसा कि परिशिष्ट 3X में दिया गया है) पर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के हकदार होंगे, जिसमें वित्त वर्ष 2019–20 के लिए अधिकतम कुल पात्रता प्रति आईईसी 5 करोड़ रुपये की होगी।

3.10ख वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए एसईआईएस दावे के लिए, एएनएफ 3ख के अनुसार ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि 31.12.2021 होगी। एचबीपी 2015–20 के पैरा 9.02 के अधीन विलंब कटौती का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए एसईआईएस आवेदनों के लिए लागू नहीं होगा और ऐसे आवेदन 31.12.2021 के बाद कालातीत हो जाएंगे।”

इस अधिसूचना का प्रभाव: वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्रदान की गई सेवाओं के लिए एसईआईएस के तहत पात्र सेवाओं और दरों की सूची अधिसूचित की जा रही है। दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 की अवधि में प्रदान की गई सेवा के निर्यात के लिए एसईआईएस के अधीन कुल पात्रता की सीमा रोपित की गई है और इसे प्रति आईईसी अधिकतम 5 करोड़ रुपये रखा गया है। इसके अतिरिक्त, यह अधिसूचित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्रदान की गई सेवाओं के लिए भारतीय रुपये में भुगतान पर एसईआईएस के अधीन लाभ का दावा करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। यह भी अधिसूचित किया गया है कि वित्त वर्ष 2019–20 के लिए एसईआईएस आवेदन जमा करने की समय सीमा 31.12.2021 होगी और ऐसे आवेदनों के लिए विलंब कटौती के प्रावधान लागू नहीं होंगे अर्थात् वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए एसईआईएस आवेदन 31.12.2021 के बाद कालातीत हो जाएंगे।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/61/180/226/एएम19/पीसी-3]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं

पदेन अपर सचिव

परिशिष्ट 3X

क्र.सं.	क्षेत्र	सीपीसी (अनंतिम कोड)	01.04.2019 से 31.03. 2020 की अवधि के लिए स्वीकार्य दर प्रतिशत में (निवल विदेशी मुद्रा अर्जन पर)
1	व्यवसाय सेवाएं		
क	व्यवसायिक सेवाएं		
क	कानूनी सेवाएं	861	5
ख	लेखांकन, लेखा-परीक्षा और बही-खाता रख-रखाव सेवाएं	862	5
ग	कराधान सेवाएं	863	5
घ	वास्तुकला सेवाएं	8671	5
ड.	अभियान्त्रिकी सेवाएं	8672	5
च	एकीकृत इंजीनियरिंग सेवाएं	8673	5
छ	शहरी आयोजना और भूदृश्य वास्तुकला सेवाएं	8674	5
ज	चिकित्सा और दंत चिकित्सा सेवाएं	9312	5
झ	पशु चिकित्सा सेवाएं	932	5
ञ	दाइयों, नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट और पैरामेडिकल कर्मियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं	93191	5
ख	अनुसंधान और विकास सेवाएं		

क	प्राकृतिक विज्ञानों पर अनुसंधान एवं विकास सेवाएं	851	5
ख	सामाजिक विज्ञानों और मानविकी पर अनुसंधान एवं विकास सेवाएं	852	5
ग	अंतर्विषयक अनुसंधान एवं विकास सेवाएं	853	5
ग	आपरेटरों के बिना किराए पर/पट्टे पर दी जाने वाली सेवाएं		
क	पोतों से संबंधित	83103	5
ख	विमान से संबंधित	83104	5
ग	अन्य परिवहन उपकरणों से संबंधित	83101 83102 83105	5
घ	अन्य मशीनरी और उपकरण से संबंधित	83106-83109	5
घ	अन्य व्यावसायिक सेवाएं		
क	विज्ञापन सेवाएं	871	3
ख	बाजार अनुसंधान और जनमत सर्वेक्षण सेवाएं	864	3
ग	कृषि, शिकार और वानिकी के आनुषंगिक सेवाएं	881	3
घ	मछली पकड़ने के आनुषंगिक सेवाएं	882	3
ड.	खनन के आनुषंगिक सेवाएं	883 5115	3
च	विनिर्माण के आनुषंगिक सेवाएं	884 885	3
छ	ऊर्जा वितरण के आनुषंगिक सेवाएं	887	3
ज	कार्मिकों की प्लेसमेंट और पूर्ति सेवाएं	872	3
झ	जांच और सुरक्षा	873	3
ञ	संबंधित वैज्ञानिक और तकनीकी परामर्श सेवाएं	8675	3
ट	उपकरणों का रख-रखाव और मरम्मत (समुद्री जहाजों, विमान या अन्य परिवहन उपकरण शामिल नहीं)	633 8861-8866	3
ठ	सफाई सेवाओं का निर्माण	874	3
ड	फोटोग्राफिक सेवाएं	875	3
ढ	पैकेजिंग सेवाएं	876	3
ण	मुद्रण, प्रकाशन	88442	3
त	कन्वेंशन सेवाएं	87909	3

2	संचार सेवाएं		
	श्रव्य-दृश्य सेवाएं		
क	मोशन पिक्चर ओर विडियो टेप उत्पादन और वितरण सेवा	9611	5
ख	मोशन पिक्चर प्रोजेक्शन सेवा	9612	5
ग	रेडियो और टेलीविजन सेवाएं	9613	5
घ	रेडियो और टेलीविजन प्रसारण सेवाएं	7524	5
ड.	ध्वनि रिकॉर्डिंग	n.a.	5
3	निर्माण और संबंधित अभियांत्रिकी सेवाएं		
क	भवन के लिए सामान्य निर्माण कार्य	512	5
ख	सिविल इंजीनियरिंग के लिए सामान्य निर्माण कार्य	513	5
ग	संस्थापना और असेंबली कार्य	514 516	5
घ	निर्माण पूरा करना और फिनिशिंग कार्य	517	5
4	शैक्षणिक सेवाएं (टिप्पणी 1 देखें)		
क	प्राथमिक शिक्षा सेवाएं	921	5
ख	माध्यमिक शिक्षा सेवाएं	922	5
ग	उच्च शिक्षा सेवाएं	923	5
घ	प्रौढ़ शिक्षा	924	5
5	पर्यावरणीय सेवाएं		
क	सीवेज सेवाएं	9401	5
ख	अपशिष्ट निपटान सेवाएं	9402	5
ग	स्वच्छता और ऐसी अन्य सेवाएं	9403	5
6	स्वास्थ्य-संबंधी और सामाजिक सेवाएं		
क	अस्पताल संबंधी सेवाएं	9311	5
7	पर्यटन और यात्रा संबंधी सेवाएं		
क	होटल और रेस्टोरेंट (खानपान सहित)		
क	होटल	641-643	3

ख	रेस्टोरेंट (कैटरिंग सहित)	641-643	3
ख	ट्रेवल एजेंसियां और टूर ऑपरेटर सेवाएं	7471	5
ग	पर्यटक गाइड सेवाएं	7472	5
8	मनोरंजन, सांस्कृतिक और स्पोर्टिंग सेवाएं (ऑडियोविजुअल सेवाओं के अतिरिक्त)		
क	मनोरंजन सेवाएं (थिएटर, लाइव बैंड और सर्कस सेवाओं सहित)	9619	5
ख	समाचार एजेंसी सेवाएं	962	5
ग	पुस्तकालय अभिलेखागार, संग्रहालय और अन्य सांस्कृतिक सेवाएं	963	5
घ	स्पोर्टिंग और अन्य मनोरंजन सेवाएं (टिप्पणी 2 देखें)	964	5
9	परिवहन सेवाएं		
क	समुद्री परिवहन सेवाएं (टिप्पणी 2 देखें)		
क	यात्री परिवहन	7211	5
ख	माल ढुलाई परिवहन	7212	5
ग	चालक दल सहित जहाजों का किराया	7213	5
घ	जहाजों की रख-रखाव और मरम्मत	8868	5
ड.	पुशिंग और टोइंग सेवाएं	7214	5
ख	हवाई परिवहन सेवाएं		
क	चालक दल के साथ विमान का किराया	734	5
ख	विमान की रख-रखाव और मरम्मत	8868	5
ग	हवाई अड्डे के संचालन और जमीनी प्रबंधन	लागू नहीं	5
ग	सड़क परिवहन सेवाएं		
क	यात्री परिवहन	7121 7122	5
ख	माल ढुलाई परिवहन	7123	5
ग	ऑपरेटर के साथ वाणिज्यिक वाहनों का किराया	7124	5
घ	सड़क परिवहन उपकरणों की रख-रखाव और मरम्मत	6112 8867	5
ड.	सड़क परिवहन सेवाओं के लिए सहायता सेवाएं	744	5
घ	परिवहन के सभी साधनों के लिए सहायक सेवाएं		
क	भंडारण और गोदाम सेवाएं	742	5
ख	माल परिवहन एजेंसी सेवाएं	748	5

टिप्पणी 1: शैक्षणिक सेवाओं के लिए, एसईआईएस प्रतिफल कैपिटेशन शुल्क पर उपलब्ध नहीं होगा

टिप्पणी 2: ऐसी समुदी परिवहन सेवाएं जिनमें {9क (क), (ख) और (ग)} का निशान हो, तो प्रतिफल केवल भारतीय ध्वज धारक जहाजों द्वारा भारत से किए जाने वाले संचालनों तक सीमित होगा:

टिप्पणी 3: वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु एसईआईएस के तहत हकदारी की गणना हेतु निम्नलिखित को ध्यान में रखना होगा:

क. विदेशी मुद्रा में भेजी जानी वाली राशियां

I. वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र से संबंधित

- i. विदेशी मुद्रा के सभी प्रकार के ऋणों का सृजन;
- ii. ग्राहकों की निर्यात आय प्राप्ति;
- iii. एडीआर/जीडीआर अथवा अन्य सदृश विलेखों के माध्यम से विदेशी इक्विटी का निर्गम;
- iv. विदेशी मुद्रा बॉण्डों का निर्गम;
- v. प्रतिभूतियों और अन्य वित्तीय विलेखों की बिक्री;
- vi. ऐसी प्राप्य राशियां जो वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की जानी वाली सेवाओं से संबद्ध न हों;

II. विदेशों में संविदा/नियमित रोजगार के माध्यम से अर्जित (उदा. मजदूरी से संबंधित भेजी जाने वाली राशियां);

ख. सेवाओं के लिए ईईएफसी खाते से प्राप्त भुगतान,

ग. स्वास्थ्य कल्याण संस्थानों द्वारा विदेशी मुद्रा कारोबार जैसे, इक्विटी, भागीदारी, दानराशि आदि।

घ. शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा विदेशी मुद्रा कारोबार जैसे इक्विटी भागीदारी, दान आदि।

ड. ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपीआई/बीटीपी स्कीमों के तहत संचालित यूनितों की सेवाओं अथवा ऐसी यूनितों को की गई सेवाओं की आपूर्तियों से संबंधित निर्यात कारोबार।

च. डीटीए सेवा प्रदाताओं के टर्न ओवर के साथ ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपीआई/बीटीपी इकाइयों द्वारा प्रदत्त सेवाओं के टर्न ओवर की क्लबिंग;

छ. किसी विदेशी राष्ट्र X से किसी विदेशी राष्ट्र Y के मार्गों में चलने वाली सेवाएं जो भारत से होकर न जाती हो, एयरलाइनों, शिपिंग लाइन सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए विदेशी मुद्रा अर्जन।

ज. दूरसंचार सेवा क्षेत्र में सेवा प्रदाता।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2021

No. 29/2015-2020

Subject : Service Exports from India Scheme (SEIS) for services rendered in the Financial Year 2019-20

S.O. 3948(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2015-20 and the enabling para 3.13 of the FTP, the Central Government hereby notifies the following changes in SEIS in the Foreign Trade Policy 2015-20, as amended from time to time, with immediate effect:

2. After the existing para 3.08 (a) of FTP 2015-20, the following para 3.08 (aa) is inserted :

“3.08 (aa) For SEIS claims on services rendered in the FY 2019-20, the notified services and rates are listed in Appendix 3X as per Annexure to this Notification.”

3. At the end of para 3.08 (c) of FTP 2015-20, the following is added:

“However, there shall be no such specified services under Appendix 3E for exports made in the financial year 2019-20”

4. After the existing para 3.10 of FTP 2015-20, the following paras are inserted:

“3.10A For SEIS claim for FY 2019-20, service providers of eligible services shall be entitled to Duty Credit Scrip at notified rates (as given in Appendix 3X) on net foreign exchange earned, with the total entitlement capped at Rs 5 Crore per IEC for FY 2019-20.

3.10B For SEIS claim for FY 2019-20, the deadline for filing the online application as per ANF 3B shall be 31.12.2021. Provision of late cut under para 9.02 of HBP 2015-20 shall not apply for SEIS applications for FY 2019-20 and such applications shall get time-barred after 31.12.2021.”

Effect of this Notification: List of eligible services and rates under SEIS for services rendered in the FY 2019-20 is being notified. A limit on total entitlement under SEIS has been imposed for service exports rendered in the period 01.04.2019 to 31.03.2020, and capped at Rs. 5 Cr per IEC. Further, it has been notified that the facility to claim benefits under SEIS on payments in Indian Rupees shall not be available for services rendered in the FY 2019-20. It is also notified that the deadline for submission of SEIS applications for FY 2019-20 shall be 31.12.2021 and late cut provisions for such applications shall not apply i.e. SEIS applications for FY 2019-20 will become time barred after 31.12.2021.

This issues with approval of the Minister of Commerce and Industry.

[F. No. 01/61/180/226/AM19/PC-3]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade,

& Ex-officio Secy.

Appendix 3X

Sl. No.	Sector	CPC (Provisional) Code	Admissible rate in % (on Net Foreign Exchange earnings) for the period 01.04.2019 to 31.03.2020
1	BUSINESS SERVICES		
A.	Professional services		
a.	Legal Services	861	5
b.	Accounting, auditing and book-keeping services	862	5
c.	Taxation services	863	5
d.	Architectural services	8671	5
e.	Engineering services	8672	5
f.	Integrated engineering services	8673	5
g.	Urban planning and landscape architectural services	8674	5
h.	Medical and dental services	9312	5
i.	Veterinary services	932	5
j.	Services provided by midwives, nurses, physiotherapists and paramedical personnel	93191	5
B.	Research and development services		
a.	R&D services on natural sciences	851	5

b.	R&D services on social sciences and humanities	852	5
c.	Interdisciplinary R&D services	853	5
C.	Rental/Leasing services without operators		
a.	Relating to ships	83103	5
b.	Relating to aircraft	83104	5
c.	Relating to other transport equipment	83101 83102 83105	5
d.	Relating to other machinery and equipment	83106-83109	5
D.	Other business services		
a.	Advertising services	871	3
b.	Market research and public opinion polling services	864	3
c.	Services incidental to agricultural, hunting and forestry	881	3
d.	Services incidental to fishing	882	3
e.	Services incidental to mining	883 5115	3
f.	Services incidental to manufacturing	884 885	3
g.	Services incidental to energy distribution	887	3
h.	Placement and supply services of personnel	872	3
i.	Investigation and security	873	3
j.	Related scientific and technical consulting services	8675	3
k.	Maintenance and repair of equipment (not including maritime vessels, aircraft or other transport equipment)	633 8861-8866	3
l.	Building cleaning services	874	3
m.	Photographic services	875	3
n.	Packaging services	876	3
o.	Printing, publishing	88442	3
p.	Convention services	87909	3
2	COMMUNICATION SERVICES		
	<u>Audiovisual services</u>		
a.	Motion picture and video tape production and distribution service	9611	5
b.	Motion picture projection service	9612	5
c.	Radio and television services	9613	5
d.	Radio and television transmission services	7524	5

e.	Sound recording	n.a.	5
3	CONSTRUCTION AND RELATED ENGINEERING SERVICES		
A.	General construction work for building	512	5
B.	General construction work for civil engineering	513	5
C.	Installation and assembly work	514 516	5
D.	Building completion and finishing work	517	5
4	EDUCATIONAL SERVICES (see Note 1)		
A.	Primary education services	921	5
B.	Secondary education services	922	5
C.	Higher education services	923	5
D.	Adult education	924	5
5	ENVIRONMENTAL SERVICES		
A.	Sewage services	9401	5
B.	Refuse disposal services	9402	5
C.	Sanitation and similar services	9403	5
6	HEALTH-RELATED AND SOCIAL SERVICES		
A.	Hospital services	9311	5
7	TOURISM AND TRAVEL-RELATED SERVICES		
A.	Hotels and Restaurants (including catering)		
a.	Hotel	641-643	3
b.	Restaurants (including catering)	641-643	3
B.	Travel agencies and tour operators services	7471	5
C.	Tourist guides services	7472	5
8	RECREATIONAL, CULTURAL AND SPORTING SERVICES (other than audiovisual services)		
A.	Entertainment services (including theatre, live bands and circus services)	9619	5
B.	News agency services	962	5
C.	Libraries, archives, museums and other cultural services	963	5
D.	Sporting and other recreational services	964	5

9	TRANSPORT SERVICES		
A.	Maritime Transport Services (see Note 2)		
a.	Passenger transportation	7211	5
b.	Freight transportation	7212	5
c.	Rental of vessels with crew	7213	5
d.	Maintenance and repair of vessels	8868	5
e.	Pushing and towing services	7214	5
B.	Air transport services		
a.	Rental of aircraft with crew	734	5
b.	Maintenance and repair of aircraft	8868	5
c.	Airport operations and ground handling	n.a.	5
C.	Road Transport Services		
a.	Passenger transportation	7121 7122	5
b.	Freight transportation	7123	5
c.	Rental of commercial vehicles with operator	7124	5
d.	Maintenance and repair of road transport equipment	6112 8867	5
e.	Supporting services for road transport services	744	5
D.	Services auxiliary to all modes of transport		
a.	Storage and warehouse services	742	5
b.	Freight transport agency services	748	5

Note 1: For Education Services, SEIS reward shall not be available on Capitation Fee.

Note 2: Under Maritime Transport Services marked { 9A (a), (b) and (c) }, the reward shall be limited to Operations from India by Indian Flag Carriers Only.

Note 3: Following shall not be taken into account for calculation of entitlement under SEIS for FY 2019-20:

a. Foreign Exchange remittances:

I. Related to Financial Services Sector

- i. Raising of all types of foreign currency Loans;
- ii. Export proceeds realization of clients;
- iii. Issuance of Foreign Equity through ADRs / GDRs or other similar instruments;
- iv. Issuance of foreign currency Bonds;
- v. Sale of securities and other financial instruments;
- vi. Other receivables not connected with services rendered by financial institutions; and

-
- II. Earned through contract/regular employment abroad (e.g. labour remittances);
- b. Payments for services received from EEFC Account;
 - c. Foreign exchange turnover by Healthcare Institutions like equity participation, donations etc.
 - d. Foreign exchange turnover by Educational Institutions like equity participation, donations etc.
 - e. Export turnover relating to services of units operating under EOU / EHTP / STPI / BTP Schemes or supplies of services made to such units
 - f. Clubbing of turnover of services rendered by EOU /EHTP / STPI / BTP units with turnover of DTA Service Providers;
 - g. Foreign Exchange earnings for services provided by Airlines, Shipping lines service providers plying from any foreign country X to any foreign country Y routes not touching India at all.
 - h. Service providers in Telecom Sector.